राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.1(3)राज-6/97/11 जयपुर, दिनांक:- 29-5-98

प्रेषित :- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

विषय :- निजी कम्पनी के लिए भूमि अवाप्ति हेतु ।

------

(1) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है । इसी अधिनियम के तहत निजी कम्पनियां एवं सार्वजनिक कम्पनियां के लिए भी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है । निजी कंपनियों के लिए अध्याय 7 के तहत एक विशेष प्रक्रिया के तहत भूमि की अवाप्ति की जाती है । राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कई प्रकरणों में निजी कंपनियां इन प्रावधानों का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करती है तथा काश्तकारों को उनकी भूमि का उपर्युक्त मुआवजा प्राप्त नहीं होता है । निजी कंपनी के लिए भूमि अवाप्ति से पूर्व कलेक्टर द्वारा इस बात के लिए आश्वस्त होना आवश्यक है कि अवाप्त की जा रही भूमि अत्यधिक नहीं है, कंपनी ने उचित कीमत पर भूमि खरीदने की कोशिश कर ली है, जहां अच्छी कृषि भूमि अवाप्त की जा रही है वहां कंपनी के प्रयोजन के लिए अन्य वैकल्पिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा अवाप्त की जारही भूमि का पूरा मुआवजा दिया जावेगा ।

इस प्रकार निजी कंपनियों के लिए भूमि अवाप्ति से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच की जानी आवश्यक है एवं कंपनियों द्वारा निजी खातेदारों / व्यक्तियों से भूमि खरीदने की पूरी कोशिश की गई हो ।

अत: राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए भूमि अवाप्ति करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि निजी कंपनियां काश्तकारों से सीधे ही भूमि खरीदे तथा केवल अपवादित मामलों में ही संबंधित विभाग के द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की जाये ।

क्रमश....2 पर